

कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा) महासमुन्द (छ.ग.)

क्रमांक/139/2014

महासमुन्द दिनांक 7 /02/2014

// संशोधित विज्ञप्ति //

इस कार्यालय द्वारा जिले में पटवारी के रिक्त पदों हेतु प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए पटवारी चयन प्रतियोगी परीक्षा के आयोजन के संबंध में पूर्व में विज्ञप्ति क्रमांक 57/2014, दिनांक 17.01.2014 का जिला कार्यालय के सूचना पटल, समाचार पत्रों व वेबसाईट में प्रकाशन कर कुल 40 रिक्त पटवारी पदों के लिए अर्हताधारी इच्छुक उम्मीदवारों से दिनांक 15.02.2014 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे।

2/ छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर के पत्र क्रमांक एफ-6138/2004/सात-3 (पार्ट-4), दिनांक 29.01.2014 द्वारा कुल 91 रिक्त पदों के लिए चयन की कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए जाने के फलस्वरूप पूर्व के 40 पदों के स्थान पर संशोधन कर अब 91 पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं जिसका श्रेणीवार/कैटेगिरीवाइज विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	जिले का नाम	रिक्त पदों की संख्या	वर्ग									
			अ.ज.जा.		अं.जा.		अन्य पिछड़ा वर्ग		अनारक्षित		योग	
			म.	मु.	म.	मु.	म.	मु.	म.	मु.	म.	मु.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	महासमुन्द	91	7	17	3	8	4	9	13	30	27	64

- 3/ पूर्व में जिन आवेदकों के द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जा चुके हैं उन्हें पृथक से आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।
- 4/ आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि व शेष समस्त शर्तें पूर्वानुसार ही होंगी इसमें किसी प्रकार का कोई संशोधन/परिवर्तन नहीं किया गया है।



कलेक्टर
महासमुन्द

(2)

क्रमांक/१५०/२०१४
प्रतिलिपि,

महासमुन्द दिनांक ७/०२/२०१४

1. सचिव छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर की ओर आपके पत्र क्रमांक एफ-६१३८/२००४/सात-३ (पार्ट-४), दिनांक २९.०१.२०१४ के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
2. आयुक्त भू-अभिलेख छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर सूचनार्थ।
3. संभागीय आयुक्त रायपुर संभाग, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
4. संचालक जन सम्पर्क संचालनालय रायपुर की ओर विज्ञप्ति प्रारूप राष्ट्रीय एवं स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. सूचना एवं विज्ञान केन्द्र अधिकारी महासमुन्द जिले के वेबसाईट में लोड किये जाने हेतु सूचनार्थ।
6. जिला जन सम्पर्क अधिकारी महासमुन्द की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।


कलेक्टर
महासमुन्द